

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/4585/

जबलपुर, दिनांक 28/10/2025

श्री ब्रजेश बुन्देला, टेक्निकल असिस्टेंट (कम्प्यूटर), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर को पुत्री का जन्म होने के कारण दिनांक 09.06.2025 से 18.06.2025 तक 10 दिन का पितृत्व अवकाश एवं दिनांक 19.06.2025 से 20.06.2025 तक 2 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक A/4586/

जबलपुर, दिनांक 28/10/2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक/प्रशासन/अवकाश/2519 इंदौर दिनांक 16.09.2025 के संदर्भ में श्री ब्रजेश बुन्देला, टेक्निकल असिस्टेंट (कम्प्यूटर), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर का निर्धारित प्रपत्र संलग्न सहपत्र को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित,
3. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)